न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 03/2014 (225 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. बद्रीप्रसाद पुत्र मुकन्दा जाति माली निवासी ग्राम सकट तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... प्रार्थी/अपीलांट

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र चतरू जाति माली निवासी ग्राम सकट तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0 ।
2. गंगासहाय पुत्र रामसहाय जाति सैनी निवासी ग्राम सकट तहसील राजगढ़ जिला अलवर – मृतक
   2/1. कौशल्या पत्नि स्व0 श्री गंगाराम,
   2/2. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री गंगाराम,
   2/3. सुरेश कुमार पुत्र स्व0 श्री गंगाराम,
   2/4. वेदप्रकाश पुत्र स्व0 श्री गंगाराम,
   2/5. जगदीश प्रसाद पुत्र स्व0 श्री गंगाराम,
   2/6. तुलसी बाई पुत्री स्व0 श्री गंगाराम, जातियान माली निवासीयान ग्राम सकट तहसील राजगढ़ जिला अलवर ।
3. छोटेलाल पुत्र रामसहाय,
4. श्रीनारायण पुत्र मुकन्दा,
5. प्यारसीराम पुत्र मुकन्दा जाति माली निवासीयान ग्राम सकट तहसील राजगढ़ जिला अलवर ।
6. सेढ़ी पुत्री मेघा स्त्री कंवरपाल,
7. रामबाई पुत्री मेघा स्त्री रामजीलाल जाति माली निवासीयान नंदेरा तहसील बसवा जिला दौसा राज0 ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कम सब रजिस्ट्रार राजगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... अप्रार्थी / रेस्पो0

9. रामकिशोर पुत्र रामसहाय जाति माली निवासी ग्राम सकट तहसील राजगढ़ जिला अलवर – मृतक
   9/1. महेश पुत्र स्व0 रामोतार पौत्र स्व0 रामकिशोर,
   9/2. राकेश पुत्र स्व0 रामोतार पौत्र स्व0 रामकिशोर,
   9/3. हेमराज पुत्र स्व0 रामोतार पौत्र स्व0 रामकिशोर, निवासीयान ग्राम सकट तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... तरतीबी रेस्पो0

उपस्थित :–
1.श्री रामनिवास सैनी, अभिभाषक अपीलांट
2.श्री अजीत यादव अभिभाषक असल रेस्पो0 ।
3.श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–25.09.2018

यह अपील विद्धान उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के निर्णय दिनांक 17.01.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलांटान ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी हाल ख0 नं0 19/0.17, 20/0.25, 21/0.10, 22/0.24, 25/0.50, 26/0.49, 27/0.04, 28/0.25, 29/0.22, 30/0.26, 31/0.19, 32/0.28, 33/0.25, 18/0.09 है0 वाके ग्राम धमावली तहसील राजगढ़ में स्थित हो जो आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सह खातेदारी की आराजी है और मौके पर मुताबिक हिस्सा काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । आराजी हिन्दू मुश्तर्का खानदान की आराजी है जिसका आज तक विधिवत तकासमा नहीं हुआ है तथा अविभाजित आराजी के प्रत्येक खातेदार का कानूनी अधिकार है जिसका बिना विभाजन किये किसी प्रकार से दीगर जगह मुन्तकिल किया जाना सम्भव नहीं है । अब अप्रार्थीगण विवादित आराजी से प्रार्थीगण को उसके हिस्से पर जबरन कब्जा कर उसे बेदखल करना चाहते हैं तथा बिना तकसीम आराजी को दीगर जगह मुन्तकिल करना चाहते हैं जिसका उन्हें किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है । यदि उनके द्धारा ऐसा किया जाता है तो नापूर्ति होने वाली क्षति होगी । इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया । विद्धान तहत न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पेश किया । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों के विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दि0 17.01.2014 को खारिज कर दिया जिस निर्णय दिनांक 17.01.2014 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया । तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि तहत न्यायालय ने अपने आदेश से प्रार्थना पत्र केवल इस आधार पर खारिज किया है कि सह खातेदार को पाबन्द नहीं किया जा सकता जबकि प्रार्थना पत्र के तथ्यों से स्पष्ट था कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उनके हिस्से मुताबिक काश्त नंहीं करने देते तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत करते हैं एवं बिना विभाजन आराजी का बेचान करने के प्रयास में हैं । ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को कानूनन जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना जरूरी था लेकिन तहत न्यायालय ने उक्त बिन्दू पर कोई गौर नहीं किया । तहत न्यायालय को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से पूर्व प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति के कानूनी बिन्दुओं का निस्तारण करना चाहिए था किन्तु ऐसा तहत न्यायालय ने नहीं किया । बहस में आगे कहा कि बिना विभाजन विवादित आराजी को विक्रय करने के प्रयास में थे जिससे प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का संतुलन व न्याय का संतुलन तथा नापूर्ति होने वाली क्षति अपीलांट के पक्ष में बखूबी साबित है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है और अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

जवाब बहस में अभिभाषक असल रेस्पो0 ने कहा कि विवादित आराजी में अप्रार्थी सं0 1 का कोई हिस्सा नहीं है । अप्रार्थी सं0 1 नें उक्त वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व दि0 1.11.2012 को स्वयं के हिस्से का बेचान कर दिया जो अप्रार्थी सं0 5 को किया गया है । विवादित आराजी पर अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । किसी भी सह खातेदार को उसके हिस्से की आराजी का विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है जिसके लिए सह खातेदार की सहमति लिया जाना आवश्यक नहीं है । अप्रार्थी सं0 1 के द्धारा जो आराजी का विक्रय अप्रार्थी सं0 5 की पत्नि को किया है, अप्रार्थी सं0 5 उक्त आराजी में पूर्व से सह खातेदार है । रेस्पो0 द्धारा अपीलांट को उसके हिस्से की आराजी से

कभी बेदखल कर कब्जा करने की कोशिश नहीं की है तथा न ही कोई व्यवधान उत्पन्न किया है । रेस्पो0 विवादित आराजी के खातेदार है जिनको उसके हिस्से की आराजी का उपयोग व उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है और अपीलांट की अपील काबिल खारिजी के है ।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपील के तथ्य तथा वाद के तथ्यों का अवलोकन किया गया और तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 17.01.2014 का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत नजीरों का भी ससम्मान अवलोकन किया ।

तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 17.01.2014 का अवलोकन किया गया । आदेश के मुताबिक पक्षकारान सह खातेदार हैं तथा एक सह खातेदार अन्य सह खातेदार को धारा 188 आर.टी.एक्ट के स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना चाहता है कि वह विवादित आराजी में से अपने हिस्से की आराजी का बेचान नहीं करें । वादी/अपीलांट द्वारा सह खातेदार के विरूद्ध बिना विभाजन के धारा 188 आर.टी.एक्ट का वाद पेश किया है । चूंकि एक सह खातेदार अन्य सह खातेदार को धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत तब तक पाबन्द नहीं करा सकता है । जब तक स्वयं सह खातेदार विभाजन की रीलीफ नहीं चाहता है । अतः बिना विभाजन की रीलीफ प्राप्त किये धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत सह खातेदार, अन्य सह खातेदार को पाबन्द कराने का अधिकारी नहीं है । तहत न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अपीलांट/प्रार्थी सही खारिज किया है । इसलिए अपील अपीलांट काबिल खारिजी के है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के निर्णय दि0 17.01.2014 यथावत रखा जाता है । खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/9/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर